खबर संक्षेप

सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हुए शहडोल के 31 स्वच्छता मित्र

शहडोल। नमस्ते दिवस के पावन अवसर पर नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा स्वच्छता के प्रहरियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय नगर पालिका सभागार में आयोजित इस विशेष समारोह में भारत सरकार के नमस्ते (राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र) अभियान के तहत 31 स्वच्छता मित्रों का आत्मीय अभिनंदन किया गया और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए।
कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने सभी 31 स्वच्छता मित्रों को पुष्पमाला पहनाकर उनके अद्वितीय योगदान को सराहा। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत सिंह ठाकुर, पार्षद श्रीमती सुगंधिता सराफ एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वच्छता मित्रों को सुरक्षा किट सौंपी गई।
नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वच्छता मित्र ही हमारे नगर की स्वच्छता और आरोग्यता की मजबूत नींव हैं। उनके कड़े परिश्रम और सेवा भाव से ही हमारा शहडोल सुंदर और स्वच्छ बना हुआ है। उनकी सुरक्षा, सामाजिक गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अभियान का मुख्य ध्येय स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षित वातावरण देना, सीवर व सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना और अमानवीय प्रथाओं को पूरी तरह समाप्त करना है।

अमलाई में बेखौफ बदमाशों का तांडव

चिकन शॉप संचालक की गोली मारकर हत्या

4 घंटे तक एनएच-43 पर शव रखकर फूटा जनाक्रोश

मुख्य आरोपी राजकुमार शर्मा अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर

हाईवे पर थमे रहे पहिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिखित सरेंडर के बाद खुला चक्काजाम

शहडोल। कानून-व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर घूमने वाले अपराधियों ने एक बार फिर शहडोल को दहला दिया है। अमलाई थाना क्षेत्र के रामपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक आदतन अपराधी ने खुलेआम गुंडागर्दी का मुजाहिरा करते हुए चिकन शॉप संचालक रज्जन कहार की सीने में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात सिर्फ इतनी थी कि मृतक ने आरोपी को सरेराह हवाई फायरिंग करने से रोका था। कानून के इकबाल को खुली चुनौती देने वाली इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में उबाल आ गया। इंसाफ की मांग को लेकर भड़के परिजनों और हजारों ग्रामीणों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (एनएच-43) के श्रीवास्तव मोड़ पर मृतक का शव रखकर करीब चार घंटे तक उग्र चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारियों का एक ही दोटूक रुख था कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं। इस भारी जनाक्रोश के आगे प्रशासन और पुलिस की सांसें फूली रही। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ मीलों लंबा जाम लग गया, एंबुलेंस से लेकर राहगीर तक बेबस खड़े रहे, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार, जब प्रशासनिक अमला बैकफुट पर आया और एसडीएम व एसडीओपी ने लिखित रूप से त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया, तब कहीं जाकर चार घंटे बाद हाईवे से जाम हटाया जा सका।

हवाई फायरिंग का विरोध करने पर उतार दिया मौत के घाट

मिली जानकारी के मुताबिक, रामपुर निवासी रज्जन कहार रोज की तरह अपनी चिकन शॉप पर काम कर रहे थे। इसी दौरान इलाके का कुख्यात और आदतन अपराधी राजकुमार शर्मा वहां आ धमका। अपनी धौंस जमाने के इरादे से उसने सरेआम कट्टा लहराते हुए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। व्यस्त बाजार में इस तरह की जानलेवा हरकत पर जब रज्जन कहार ने आपत्ति जताई और उसे रोकने की कोशिश की, तो खूनखराबे पर आमादा राजकुमार आपा खो बैठा। उसने बिना वक्त गंवाए सीधे रज्जन को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली रज्जन के शरीर को चीरती हुई पार हो गई। लहूलुहान हालत में रज्जन जमीन पर गिर पड़ा और हमलावर हथियार लहराता हुआ मौके से फरार हो गया। आनन-फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

शव सडक़ पर रख पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन

मौत की खबर फैलते ही रामपुर और अमलाई का माहौल बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। पुलिस की सुस्ती और अपराधियों के बढ़ते हौसलों से नाराज सैकड़ों लोग अस्पताल से सीधे शव लेकर एनएच-43 पर पहुंच गए। श्रीवास्तव मोड़ को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। आक्रोशित महिलाओं और युवाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि पुलिस की ढिलाई के कारण ही राजकुमार शर्मा

जैसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिनदहाड़े किसी की भी जान ले रहे हैं।

लिखित आश्वासन के बाद पिघला गुस्सा

मामले की संवेदनशीलता और बिगड़ते हालातों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कई दौर की बातचीत की, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन जनता का भरोसा उठ चुका था। प्रदर्शनकारी मौखिक दिलासे को मानने को तैयार नहीं थे। करीब चार घंटे तक चले भारी तनाव और मान-मनौव्वल के बाद, जब एसडीएम और एसडीओपी ने आरोपी राजकुमार शर्मा की चौबीस घंटे के भीतर गिरफ्तारी और उसके अवैध साम्राज्य पर निष्पक्ष एवं सख्त कानूनी बुलडोजर कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर राजी हुए।

फरार आरोपी की तलाश में दबिश

वारदात के बाद से ही पुलिस की साख दांव पर लगी है। हत्यारे की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई स्पेशल टीमों का गठन किया है, जो उसके संभावित ठिकानों और करीबियों के घरों पर लगातार दबिश दे रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और उस पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। हालांकि, एहतियात के तौर पर पूरे रामपुर और अमलाई क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर संगीनों के साए में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस जघन्य हत्याकांड ने स्थानीय पुलिसिंग पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिर एक आदतन अपराधी के पास अवैध हथियार कहां से आए और वह खुलेआम फायरिंग करने की हिम्मत कैसे कर सका? जनता अब सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रही है।

रिलायंस के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा वृद्ध

शहडोल। विकास की आड़ में बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की गुंडागर्दी और स्थानीय प्रशासन की मूक सहमति का एक और खौफनाक चेहरा उजागर हुआ है। ग्राम नवलपुर (शहडोल) के रहने वाले एक अत्यंत गरीब और बुजुर्ग किसान दादी प्रसाद प्रजापति के आजीविका पर रिलायंस कंपनी लालपुर ने क्रूरता का बुलडोजर चला दिया है। बुजुर्ग किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ गया हुआ था। कंपनी के बेखौफ अफसरों ने इसी लाचारी का फायदा उठाया और बुजुर्ग की अनुपस्थिति में बिना किसी अनुमति या सहमति के उनके खेत की मेड़ तोडक़र जबरन पाइप गाड़ दिए और पूरे खेत को मलबे में तब्दील कर दिया।

जब वृद्ध किसान अपनी बीमारी से लडक़र वापस लौटा, तो अपने उजाड़ खेत की दुर्दशा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिलायंस के गुमाश्तों ने न केवल उसकी जमीन को क्षतिग्रस्त किया, बल्कि काम खत्म होने के बाद उसे समतल करने की जहमत तक नहीं उठाई। वर्तमान में मानसून की बौछारें शुरू हो चुकी हैं और पूरे इलाके में बोआई का काम चरम पर है, लेकिन कंपनी की इस बर्बरता के कारण पीड़ित किसान के खेत में हल चलाना तो दूर, पैर रखना भी दूभर हो गया है।

पीड़ित बुजुर्ग किसान दादी प्रसाद का कहना है कि उम्रदराज होने के कारण वह शारीरिक मजदूरी भी नहीं कर सकता। परिवार के पेट पालने का एकमात्र जरिया यही जमीन थी, जिसे रिलायंस ने उजाड़ दिया। आखिर बिना भूस्वामी की अनुमति के किसी के निजी खेत में घुसकर तोडफ़ोड़ करने की हिम्मत इन अधिकारियों को कहां से मिली? क्या शहडोल जिला प्रशासन बड़ी कंपनियों के सामने घुटने टेक चुका है?

पूंजीपतियों की खुलेआम डकैती

अब बेबस और दाने-दाने को मोहताज बुजुर्ग किसान ने कलेक्टर की चौखट पर दस्तक देकर अपनी गुहार लगाई है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि रिलायंस कंपनी द्वारा उसके खेत की तत्काल मरम्मत नहीं कराई गई या उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो उसका पूरा परिवार भूख से दम तोड़ देगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और रिलायंस प्रबंधन की होगी। देखना यह है कि इस गंभीर और संवेदनशील मामले में कलेक्टर कोई त्वरित व सख्त एक्शन लेते हैं या पूंजीपतियों की इस खुली डकैती पर हमेशा की तरह चुप्पी साध ली जाती है।

मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में पहली बार तीन युवा कलाकारों का चयन

शहडोल रंगमंच के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

शहडोल। संभाग के रंगमंच के लिए यह गर्व और खुशी का ऐतिहासिक अवसर है। पहली बार शहडोल रंगमंच से एक साथ तीन युवा कलाकारों रेणु विश्वकर्मा, राजकुमार जाटव और मांशू सिंह—का चयन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल के शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए हुआ है। इन तीनों कलाकारों ने विद्यालय के प्रतिष्ठित दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री एम.पी.ए. (नाट्य एवं रंगमंच) पाठ्यक्रम में अंतिम चयनित 26 विद्यार्थियों में स्थान बनाया है। चयन प्रक्रिया अत्यंत कठिन रही। प्रथम चरण में देश-विदेश से आए लगभग 90 कलाकारों का साक्षात्कार रंगमंच के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा लिया गया। इसके बाद अंतिम चयन कार्यशाला के लिए 60 प्रतिभागियों का चयन हुआ, जिसमें शहडोल के इन तीनों कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के दम पर स्थान बनाया। अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पार करते हुए तीनों ने 26 सीटों में अपना स्थान सुनिश्चित किया।

यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि शहडोल रंगमंच के इतिहास में पहली बार एक साथ तीन कलाकारों का चयन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में हुआ है। इससे न केवल

जिले, बल्कि पूरे संभाग के रंगमंच को नई पहचान और ऊर्जा मिलेगी।

तीनों कलाकार लंबे समय से सम्पूर्ण नाट्य एवं लोक कला समिति, शहडोल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संस्था के निर्देशक एवं वरिष्ठ रंगकर्मी लकी चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में अनेक नाटकों में अभिनय, गायन, नृत्य, लोक कला तथा बैकस्टेज कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी वर्षों की मेहनत, अनुशासन और रंगमंच के प्रति समर्पण का ही यह परिणाम है।

इस उपलब्धि पर निर्देशक लकी चतुर्वेदी ने कहा कि यह केवल तीन कलाकारों की सफलता नहीं, बल्कि पूरे शहडोल रंगमंच, जिले और बघेलखंड क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि संस्था निरंतर रंगमंच और लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रही है और भविष्य में भी ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार तैयार करने का प्रयास जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में 8 से 18 जून 2026 तक सम्पूर्ण नाट्य एवं लोक कला समिति द्वारा शहडोल में 11 दिवसीय ऐतिहासिक नाट्य रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में देशभर के रंगकर्मी, निर्देशक, कलाकार और नाट्य समूह शामिल हुए तथा अनेक नाटकों और लोक कलाओं की प्रस्तुतियां दी गईं। इसी वर्ष यह शहडोल रंगमंच की दूसरी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है कि उसी संस्था से जुड़े तीन कलाकारों का चयन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में हुआ है। शहडोल के वरिष्ठ रंगकर्मियों, कलाकारों, साहित्यकारों और कला प्रेमियों ने तीनों चयनित कलाकारों को शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। सभी को विश्वास है कि रेणु विश्वकर्मा, राजकुमार जाटव और मांशू सिंह आने वाले समय में शहडोल और बघेलखंड की रंग परंपरा का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे।

आरआई-पटवारी पर सरकारी स्कूल की जमीन को निजी पट्टे में बदलने का संगीन आरोप

झुड़पी जंगल की जमीन पर फर्जी पट्टे का भंडाफोड़

शहडोल।

जिले के गोहपारू तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बुढऩवाह में राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की शह पर एक बड़ा भू-माफियाई खेल और तानाशाही का मामला सामने आया है। सरकारी जमीनों की सुरक्षा करने की बजाय खुद रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ गए हैं। बुढऩवाह के ग्रामीणों ने गोहपारू तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक प्रवीण तिवारी और हल्का पटवारी ओम प्रकाश सिंह बघेल पर पदीय शक्तियों का दुरुपयोग कर 10 साल से संचालित शासकीय हाई स्कूल की जमीन को निजी पट्टे की जमीन बताने और गांव में जानबूझकर खूनी संघर्ष की स्थिति पैदा करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इस तानाशाही के खिलाफ पूरे गांव ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार ग्राम बुढऩवाह में शासकीय हाई स्कूल पिछले 10 वर्षों से खसरा नंबर 44/3 की सरकारी जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रहा है। इसका बकायदा राजस्व रिकॉर्ड भी दर्ज है, लेकिन गत 11 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 3 बजे राजस्व निरीक्षक प्रवीण तिवारी और उस हलके के न होते हुए भी अनाधिकृत रूप से पहुंचे पटवारी ओम प्रकाश सिंह बघेल ने मिलकर एक बड़ा खेल रच डाला। अधिकारियों ने पूरे गांव के सामने यह दावा कर दिया कि यह स्कूल खसरा नंबर 44/1 की बजाय खसरा नंबर 88 के निजी पट्टे की जमीन पर बना है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में (राजस्व प्रकरण क्रमांक 0336/अ-12/2024-25, आदेश दिनांक 24.01.2025) बकायदा नाप-जोख कर जमीन का सही सीमांकन किया जा चुका था, जहां ग्रामीण पीढिय़ों से काबिज हैं। बावजूद इसके, मोटी सांठ-गांठ के चलते नए सिरे से मनमुताबिक गलत नाप कर पूरे गांव को विवाद की भट्टी में झोंक दिया गया।

ग्रामीणों ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि जब उन्होंने इस मनमाने सीमांकन का विरोध किया और पूर्व में जारी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का हवाला दिया, तो आरआई प्रवीण तिवारी अपनी मर्यादा भूल गए। उन्होंने ग्रामीणों को सीधे तौर पर धमकाते हुए कहा कि मैं पूर्व के सीमांकन और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को नहीं मानता। मैं खुद कानून बनाता हूं और अपनी मर्जी से कानून चलाता हूं। एक जिम्मेदार लोक सेवक के मुंह से ऐसी गुंडागर्दी और तानाशाही भरी भाषा सुनकर ग्रामीणों के होश उड़ गए।

मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब ग्रामीणों ने स्कूल से लगी खसरा नंबर 551/2 की झुड़पी जंगल (वन भूमि/शासकीय भूमि) पर किए गए एक फर्जी पट्टे का पर्दाफाश किया। ग्रामीणों का आरोप है कि भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह पूरा ताना-बाना बुना गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि इस फर्जी पट्टे को तत्काल निरस्त कर इसे मध्य प्रदेश शासन के खाते में दर्ज किया जाए।

मामले को लेकर बुढऩवाह के समस्त ग्रामीणों में भारी उबाल है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि यदि इस भ्रष्ट और दबंग राजस्व जोड़ी पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने मांग की है कि शासकीय जमीन का गलत सीमांकन करने, झूठा विवाद पैदा करने और सरकारी तंत्र की साख धूमिल करने वाले आरआई प्रवीण तिवारी व पटवारी ओम प्रकाश सिंह बघेल के खिलाफ तत्काल कानूनी एफआईआर दर्ज की जाए, इन्हें यहां से निलंबित कर स्थानांतरित किया जाए और शासकीय स्कूल की भूमि को सुरक्षित किया जाए।

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD ZAHID MY WIFE NAME AZIZUN **(Old Name)** R/o Ward no 05, Sabo, rungtacolory, VTC: Sabo, PO: Burhar, SubDistrict: Sohagpur, District: Shahdol, State: Madhya Pradesh, PINCode: 484110 Have Changed my Name as **MOHAMMAD JAHID MY WIFE NAME AJIJUN NISHA (New Name)** Vide Affidavit Dtd: 25-7-2026 Sworn Before Advocate & Notary Vijay Pratap Singh at Burhar, Dist. Shahdol.

निविदा सूचना

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत **"Akanksha Packaging & Printing Unit Empowering SHG Women through Value Addition"** परियोजना अंतर्गत **42 Inch, 06 Colour Servo Based Flexographic Printing Machine, Online Servo Voltage Stabilizer, Installation, Commissioning, Testing, Operator Training, Warranty** तथा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संबंधित उपकरणों एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए पात्र एवं अनुभवी एजेंसियों से मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन द्वि-आवरण प्रणाली **(Two Bid System)** अंतर्गत ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा से संबंधित विस्तृत निविदा दस्तावेज, पात्रता की शर्तें, तकनीकी विशिष्टियाँ तथा अन्य आवश्यक जानकारी मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदाकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी ऑनलाइन निविदाएँ दिनांक 20/07/2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, शहडोल (म.प्र.)

देवरा बीट के लखनपुर जंगल में हुआ वृहद वृक्षारोपण

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट रहे मुख्य अतिथि

जयसिंहनगर। उत्तर वन मंडल के देवरा बीट अंतर्गत ग्राम लखनपुर के वन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय न्यायाधीश ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी करे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिल सके। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं वनोपज समिति जयसिंहनगर उपाध्यक्ष राम नारायण पांडेय, अधिवक्ता नोटरी नरेंद्र शुक्ला,अधिवक्ता संतोष कुमार तिवारी, अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह कमर, अधिवक्ता संजय कुमार राव तथा धर्मदास पटेल (नजीर) सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

17 जुलाई को ई गर्वनेंस में प्रशिक्षण 16 एवं कैंप का आयोजन

उमरिया। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अखिलेश पाठक ने बताया कि समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आईएफएमआईएस साप्टवेयर का उपयोग विभिन्न प्रकार के वित्तीय संव्यवहार में किया जाता है। उन्होने बताया कि व्यवस्था के उपयोग में कई बार समस्याएं दर्ज की जाती है। इस समस्याओं का समाधान भी एसडी व्यवस्थाध अन्यथा स्थितियों में पत्राचार आदि के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं आहरण संवितरण अधिकारियों को समाधान से अवगत कराने के उद्देश्य से 16 जुलाई को ई-गर्वनेंस जिला पंचायत उमरिया में प्रशिक्षण के साथ-साथ आईएफएमआईएस केयर्स कैंप भी आयोजित किया जा रहा है साथ ही 17 जुलाई को कार्यालय जिला कोषालय उमरिया में कैम्प आयोजित किया जाएगा।

तालाब को पाटने की थी तैयारी, ग्रामीणों के विरोध से लौटी जेसीबी

कटनी। जनपद पंचायत की मझगवा पंचायत के पीछे स्थित लगभग 40 वर्ष पुराने तालाब को पाटने की कथित कोशिश को लेकर रात गांव में हंगामे की स्थिति बन गई। ग्रामीणों के अनुसार रात करीब आठ से दस बजे के बीच कुछ लोग जेसीबी मशीन लेकर तालाब में मिट्टी डालने पहुंचे थे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तालाब पाटे जाने का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के चलते जेसीबी मशीन और मौके पर मौजूद लोगों को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब वर्षों पुराना है और गांव के लोग इसके पानी का उपयोग करते हैं। उनका आरोप है कि कुछ लोग तालाब को अपनी निजी भूमि बताकर उसे पाटने का प्रयास कर रहे थे।

अलग-अलग स्थानों में मारपीट की हुई घटनाएं

कटनी। कोतवाली थाना अंतर्गत कैलवारा खुर्द में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया आरती राजपाल 37 वर्ष ने शिकायत दर्ज कराई है कि राजेश राजपाल और सरोज राजपाल ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

बंगवार कालरी हादसा, एक माह बाद भी पीडितों को नहीं मिला न्याय

मैनेजमेंट के खेल में दफन हुआ न्याय

बड़े अधिकारियों को क्लीन चिट मिलने पर भडक़े पीड़ित

शहडोल। सोहागपुर एरिया अंतर्गत बंगवार भूमिगत कोयला खदान में 5 जून को हुए भीषण हादसे को एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। इस दर्दनाक दुर्घटना में दो स्थानीय श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुरुआती दिनों में मामले को शांत रखने के लिए मुस्तैदी दिखाने वाला जिला व पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह शांत हो चुका है। खदान सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कोल प्रबंधन के आला अधिकारियों को जांच टीमों द्वारा क्लीन चिट दे दिए जाने के बाद, न्याय की आस में भटक रहे पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ठेकेदार और मुंशी के खिलाफ गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कलेक्टर से न्याय और उचित मुआवजे की गुहार लगाई है।

जनसुनवाई में गूंजा पीड़ित परिवारों का दर्द

ग्राम बरदौहा, बंडीकला और पटना सहित कई गांवों से कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित परिवारों ने सीधे तौर पर ठेकेदार रवि जायसवाल और मुंशी मजीद के खिलाफ शिकायत सौंपी है। परिजनों का आरोप है कि खदान के भीतर 45 नंबर पिलर के पास डिप्लरिंग हिस्से में धंसने (रूफ फॉल) की आशंका पहले से थी और श्रमिकों द्वारा अवगत कराए जाने के बावजूद सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर उनसे जबरन स्टॉपिंग वॉल का निर्माण कराया गया। परिजनों ने कलेक्टर को सौंपे शिकायती पत्र में मांग की है कि परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य घायल होने से उनके घरों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई, घायलों के उचित इलाज के लिए आर्थिक सहायता, नियमों के तहत वैधानिक लाभ और मुआवजा दिलाने की मांग की है। हालांकि, पीड़ितों का यह गुस्सा निचले स्तर के ठेकेदारों पर तो फूट रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि असली गुनाहगारों को प्रशासनिक शह पर बचा लिया गया है।

साक्ष्यों को मिटाने का किया गया प्रयास

यह पूरा मामला 5 जून को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे का है, जब खदान के मुहाने से लगभग दो किलोमीटर अंदर मजदूर बिना किसी सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट या बूट के सुरक्षा दीवार बना रहे थे। इसी दौरान अचानक कोयले की भारी-भरकम सिम और कमजोर छत भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर बल्लू बैगा उम्र 43 वर्ष और गोलू बैगा उम्र 30 वर्ष की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। वहीं अंजनी बैगा उम्र 38 वर्ष, अमित कुमार यादव उम्र 28 वर्ष, प्रेमलाल विश्वकर्मा उम्र 39 वर्ष और राजकुमार यादव उम्र 37 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि हादसे के एक घंटे बाद तक स्थानीय धनपुरी थाना पुलिस से घटना को छुपाया गया और कोल प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का यह भी गंभीर आरोप है कि डीजीएमएस की तकनीकी जांच से बचने के लिए सब एरिया मैनेजर की टीम ने देर रात तक माइंस के अंदर दुर्घटना से जुड़े साक्ष्यों और सबूतों को मिटाने का काम किया।

पुराने मामलों का हवाला देकर कार्रवाई की मांग

हादसे के दिन खुद कलेक्टर डॉ. केदार सिंह और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव अस्पताल पहुंचे थे और प्रशासन ने पूरी ताकत सिर्फ इसलिए झोंकी थी ताकि मौतों का आंकड़ा न बढ़े और जनाक्रोश को दबाया जा सके, लेकिन जैसे ही समय बीता, कोल प्रबंधन के अधिकारियों को सब कुछ मैनेज करने का पूरा मौका मिल गया। आरोप हैं कि जबलपुर से आई डीजीएमएस की टीम से लेकर शहडोल जिला व पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों तक को मैनेज कर लिया गया है। यही कारण है कि आज तक हादसे के मुख्य जिम्मेदार मुख्य महाप्रबंधक बी.के. जेना और उपक्षेत्रीय प्रबंधक (सब एरिया मैनेजर) संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने केवल ठेकेदार और मुंशी पर मामला टालकर बड़े अधिकारियों को पूरी तरह बचा लिया है।

पुराना है कार्यवाही का इतिहास

यदि जिले के पुराने इतिहास को उठाकर देखा जाए, तो जब भी कोल माइंस या अन्य संस्थानों में हादसे हुए हैं, तो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में संस्थान के बड़े अधिकारियों को नामजद किया जाता था। पूर्व में धनपुरी थाना अंतर्गत आलमगंज क्षेत्र की बंद भूमिगत खदान में हुई मौतों के मामले में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने साहस दिखाते हुए बुढ़ार ग्रुप के बड़े अधिकारियों को पार्टी बनाया था और उन पर मामला दर्ज किया था। इसी तरह अनिल कुशवाहा मृत्यु प्रकरण में भी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों और खान प्रबंधकों पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। तो फिर बंगवार खदान हादसे में जिला प्रशासन और पुलिस क्यों मूकदर्शक बनी हुई है? क्यों खान सुरक्षा के हर क्रेडिट को अपने नाम करने वाले मुख्य महाप्रबंधक और उपक्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया? शहडोल जिले की पुलिस और जिला प्रशासन की यह कार्यप्रणाली बेहद निराशाजनक है, जिसके कारण आज पीड़ित परिवार लावारिसों की तरह कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, जबकि आलीशान दफ्तरों में बैठे जिम्मेदार बेखौफ घूम रहे हैं। जब तक इन बड़े अधिकारियों के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज नहीं होता, तब तक पीड़ितों को न्याय मिलना असंभव है।

एमएसएमई उद्यमियों के लिए दो दिवसीय कम्पोजिट वर्कशॉप का आयोजन 15 एवं 16 जुलाई को

उमरिया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने तथा उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं में जोडऩे के उद्देश्य से भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय एवं विश्व बैंक समर्थित रैंप योजना के अंतर्गत 15 एवं 16 जुलाई को होटल रायल आनंदा पैलेस कलेक्ट्रेट के सामने उमरिया आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगें ।

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य जिले के उद्यमियों स्टार्टअप्स स्वयं सहायता समूहों, इच्छुक उद्यमियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों को उद्योग विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं प्रमाणन प्रक्रियाओं तथा डिजिटल व्यापार के अवसरों की जानकारी प्रदान करना है।कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को उद्यम पंजीकरण जेड पंजीकरण एवं प्रमाणन ऑनबोर्डिंग वित्तीय जागरुकता बौद्धिक संपदा अधिकार , जीआई पोर्टल प्रमाणन ईएसजी एवं आरईसीपी , एसएचजी फॉर्मलाइजेशन सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही प्रतिभागियों को वॉक-इन एवं कियोस्क सुविधा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभभी उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यशाला में मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, स्टार्टअप नीति , भूमि आवंटन नियम , रैंप एवं एमएसई स्पाइस योजना सहित राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी साझा की जाएगी। विशेषज्ञ उद्यमियों को गुणवत्ता सुधार, बाजार विस्तार, डिजिटल कॉमर्स वित्तीय सहायता तथा व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों से अवगत कराएंगे। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने जिले के सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों, एवं उद्योग संघों से इस कार्यशाला में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने का आग्रह किया है, ताकि वह सरकारी योजनाओं एवं उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

धान बीज के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से लगाया गया प्रतिबंध

उमरिया। कृषकों के हितों एवं गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में बीजों की गुणवत्ता की सतत निगरानी की जा रही है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संग्राम सिंह मरावी ने बताया कि मेसर्स राम दरबार बीज भंडार, ग्राम बड़छड़, विकासखंड मानपुर द्वारा विक्रय किए जा रहे कंपनी सीड वर्कस इंटरनेशनल लिमिटेड, गोडावली विलेज, मेडचल, मेसर्स राम खाद एवं बीज भंडार मानपुर, कंपनी सीड वर्कस इंटरनेशनल लिमिटेड, गोडावली विलेज, मेडचल, मेसर्स शुक्ला बीज भंडार मानपुर, कंपनी अंकुर सीडस प्राई. लि.नागपुर, सायाजी सीडस अहमदाबाद, निरमल सीडस प्राई. लि. भडगांव रोड पचौरा, मेसर्स दिव्या ट्रेडर्स ग्राम पड़वार मानपुर, कंपनी कावेरी सीडस कंपनी लि. सिकंदराबाद, मेसर्स नयन बीज भंडार ग्राम बकेली, कंपनी बायर बायो साईंस प्राई. लि. हीरानंदनी महाराष्ट्र के धान बीज नमूनें अमानक स्तर के पाए जाने के कारण उक्त धान बीज के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित बीज विक्रेता को निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित धान बीज का विक्रय, वितरण अथवा स्थानांतरण तत्काल बंद करें तथा उपलब्ध समस्त स्टॉक को पृथक रखें एवं बीज का विक्रय न करें। उप संचालक कृषि ने जिले के कृषकों से अपील की है कि वे उक्त प्रतिबंधित धान बीज का क्रय न करें। यदि किसी कृषक ने इस बीज का क्रय किया है अथवा इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल अपने निकटतम कृषि कार्यालय अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को दें। उप संचालक कृषि ने स्पष्ट किया है कि कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीज गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं एवं संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर एवं सीईओ ने जनसुनवाई में सुनी समस्याएं

विभागीय अधिकारियों को समुचित कार्यवाही के दिए निर्देश

उमरिया। साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय एवं सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने जिले के दूर दराज से आए 210 आवेदकों की समस्याओं को सुना तथा आवेदनों के निराकरण के लिए आवेदन संबंधित विभाग की ओर प्रेषित किया तथा विभागीय अधिकारियों को समुचित कार्यवाही करनें के निर्देश दिए। जनसुनवाई में रूरू बाई बैगा निवासी कोयलारी 57 ने पीएम आवास योजना एवं राशन नही मिलने संबंधी आवेदन दिया । जिस पर कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को आवश्यक कार्यवाही करनें के निर्देश दिए। जनसुनवाई में ओमती साहू झीकाताल ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने, नान बाई ग्राम बडख़ेरा ने पीएम आवास स्वीकृत किए जाने, प्रिंस केवट ग्राम बल्हौड़ ने 10वीं, 12 वीं की अंकसूची के आधार पर आधार कार्ड मे सुधार किए जाने,सरपंच ग्राम पंचायत मुंडा ने शासकीय तालाब उमरपानी से अवैध कब्जा हटवाने, नारायण राठौर ददरी ने कुआं क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, आंचल साहू देवगवां ने समग्र आईडी आधार से लिंक किए जाने, पंचम सिंह मझौली कला ने गरीबी रेखा मे नाम जुड़वाने, रामचरण ग्राम लोढ़ा ने नक्शा तरमीम कराने, अनुपम चतुर्वेदी चंदिया ने आराजी खा0न0 पर वन विभाग व्दारा कब्जा किए जाने, राहू महोबिया, गुलजारी यादव, कन्हैया पाल ने लालपुर वार्ड वार्ड नंबर 2 मे सार्वजनिक नाली के पानी की निकासी की समस्यां से निजात दिलाने संबंधी आवेदन दिया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न आवेदकों व्दारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सडक़ों के सुधार के संबंध में आवेदन दिये गये जिस पर कलेक्टर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सडक़ों के सुधार के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि वर्षा काल में सडक़ों को मोटरेबल बनाएं ताकि आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्यां न हो। कलेक्टर के समक्ष कोयलारी 57 निवासी दिव्यांग रूरू बाई बैगा अपनी समस्यां को लेकर आई । कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए रूरू बाई से समस्यां सुनी तथा आश्वस्त किया कि उसकी समस्याओं का समाधानकारक निराकरण किया जाएगा । उन्होंने दिव्यांग रूरू बाई को कलेक्ट्रेट में उपलब्ध व्हीलचेयर के माध्यम से पहुंचवाने की व्यवस्था कराई। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, एसडीएम बांधवगढ अंबिकेश प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज, तहसीलदार बांधवगढ दिलीप सोनी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

तेज रफ्तार और बदहाल सड़क बनी हादसे की वजह, 12वीं का छात्र गंभीर रूप से घायल

मॉडल स्कूल के सामने पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे पर उठे सवाल

कोतमा। नगर में तेज रफ्तार वाहनों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर नाबालिगों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने और स्कूल आने-जाने के दौरान तेज गति से वाहन दौड़ाने की घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं। मंगलवार दोपहर एक बार फिर तेज रफ्तार और बदहाल सड़क की वजह से सड़क हादसा हो गया, जिसमें 12वीं कक्षा का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ग्रीन लैंड स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र रोंकी पनिका (17 वर्ष) स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। जैसे ही वह मॉडल स्कूल के सामने पहुंचा, सड़क पर बने गड्ढे के कारण सामने से आ रही एक अन्य दोपहिया वाहन से उसकी आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोंकी पनिका कई फीट दूर जा गिरा। उसके सिर में गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। हादसे में दूसरे दोपहिया वाहन चालक को भी चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल खुलने और छुट्टी के समय कई छात्र तेज गति से दोपहिया वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। लोगों का कहना है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर प्रभावी कार्रवाई और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना आवश्यक है।

सड़क की बदहाली भी बन रही हादसों की वजह

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि मॉडल स्कूल के सामने नल-जल योजना की पाइपलाइन क्रॉसिंग के लिए काफी समय पहले सड़क खोदी गई थी। बाद में गड्ढे में केवल मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया, जिससे सड़क उबड़-खाबड़ हो गई है और आए दिन यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका पाइपलाइन कनेक्शन देने से पहले उपभोक्ताओं से रोड कटिंग शुल्क तो वसूल लेती है, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद सड़क की समुचित मरम्मत नहीं कराती। नगर के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जहां अधूरी मरम्मत के कारण वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका से मांग की है कि शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों और पाइपलाइन कार्य के बाद बने गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

सार्वजनिक नल से रोज बह रहा हजारों लीटर पानी

जिम्मेदारों की लापरवाही से जल संरक्षण अभियान पर उठे सवाल

कोतमा। एक ओर नगर पालिका द्वारा जल संरक्षण को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और पानी की एक-एक बूंद बचाने का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर में ही लापरवाही के चलते प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। मंगलवार को नगर के वार्ड क्रमांक-4 स्थित मवेशी बाजार के पास ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां नगर पालिका द्वारा नल-जल योजना के तहत सार्वजनिक पेयजल नल लगाया गया है, जिसका उपयोग आसपास रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद परिवार करते हैं। लेकिन नल में टोटी नहीं लगी होने के कारण पानी लगातार बहता रहता है, जिससे प्रतिदिन सैकड़ों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ नालियों में बह जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सार्वजनिक नल का संचालन करना है तो उसमें टोटी लगाकर उसे व्यवस्थित किया जाए, ताकि आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग हो सके। यदि फिलहाल इसका उपयोग नहीं होना है, तो नगर पालिका को इसे अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए, जिससे पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकी जा सके। नागरिकों का कहना है कि जब प्रशासन स्वयं जल संरक्षण का संदेश देता है, तो सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की लापरवाही पर रोक लगाना भी उसकी जिम्मेदारी है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बह रहा पानी भविष्य में गंभीर जल संकट का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक नल में तत्काल टोटी लगाई जाए अथवा आवश्यक मरम्मत कर पानी की बर्बादी पर रोक लगाई जाए, ताकि जल संरक्षण अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर भी प्रभावी दिखाई दे।

कोतमा में घर के बाहर खड़ी पल्सर बाइक में लगी भीषण आग

आधे घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

कोतमा। नगर के वार्ड क्रमांक-3 स्थित रेलवे कॉलोनी के पीछे एक किरायेदार के घर के सामने खड़ी बजाज पल्सर मोटरसाइकिल में मंगलवार देर शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग की लपटों से घिर गई और धू-धू कर जलने लगी। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। रिहायशी इलाका होने के कारण आसपास रहने वाले लोगों में आग के अन्य मकानों तक फैलने की आशंका से दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि तब तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाइक पूरी तरह नष्ट हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि आग किसी तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से लगी हो सकती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर घटना की पड़ताल की जा रही है।

खबर संक्षेप

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए आवेदन शुरू

कटनी। जिले के किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का लाभ लेने का सुनहरा अवसर उपलब्ध हुआ है। कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर हेतु आवेदन प्रक्रिया 13 जुलाई से प्रारंभ कर दी गई है। कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों को सूचित किया है कि इच्छुक कृषक ई-कृषि अनुदान पोर्टल mpdage.org पर निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय-सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ते हुए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय, कृषि विस्तार अधिकारी या संबंधित विकासखंड के कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

कटघरे में अधिकारियों की कार्य प्रणाली

आखिर क्यों नहीं हो रही कार्यवाही, किसके संरक्षण में फल फूल रहा अवैध कारोबार

स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में संचालित नियम विरुद्ध पैथोलॉजी

ग्रामीण क्षेत्रों में इन दोनों प्रतिदिन सैकड़ो मरीज अवैध पैथोलॉजी के जाल में फंसकर आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, अवैध पैथोलॉजी के कारोबार में समाज के नामी ग्रामीण लोग भी शामिल हैं, लिहाजा उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्यवाही करने से कतराता है मरीजों की जिंदगी पूरी तरह भगवान के रहमों करम पर निर्भर है

मानपुर। एक तरफ जहां सबसे मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है वहीं दूसरी तरफ झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से मरीजों की जान आफत में है न केवल डॉक्टर बल्कि पैथोलॉजी और एक्सरे का बोर्ड लगाकर पूरे मानपुर जनपद पंचायत के ग्राम चिल्हारी में फर्जी वाडे का खेल चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी तक में डॉक्टरों के बोर्ड लगे हुए हैं, जहां मरीजों का आर्थिक शोषण जारी है, मांनपुर मुख्यालय के ग्राम चिल्हारी में सेवा पैथोलॉजी विष्णुकांत यादव के द्वारा ही खून जांच सहित अन्य जांचों के नाम पर टेक्निसयनो ने दुकान खोल रखी है।

मरीजों पर आर्थिक दबाव

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर से लगे ग्राम चिल्हारी सहित आसपास कई पैथोलॉजी चिकित्सकों के सहारे चल रही हैं अधिकांश मरीजो को रक्त अन्य

जांच करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जहां जरूरत ना हो वहां भी पैथोलॉजी जांच करना अब चिकित्सकों की आदत बन गई है, जिससे आर्थिक दबाव मरिज पर पड़ती है, मानपुर जनपद मुख्यालय से लगे विष्णु कांत यादव सेवा पैथोलॉजी नामक के नाम से पैथोलॉजी का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत संचालित हो रही है, लेकिन जिम्मेदार जानकर भी अनजान हैं।

किराए की डिग्री

स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संचालित पैथोलॉजी लैबों को खुली छूट दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के अनुसार पैथोलॉजी लैब चलाने के लिए अब सिर्फ एमडी पैथोलॉजिस्ट ही मान्य होंगे, लेकिन इसके उलट बी-फार्मा वा गायनोकोलॉजी डिग्री वाले लैव चला रहे हैं, सूत्रों की माने तो कथित लैब संचालक द्वारा लगाई गई डॉक्टर की डिग्री किराए पर लेकर संचालित की जा रही है, खबर है कि उक्त डाक्टर की डिग्री के द्वारा कई पैथोलॉजी संचालित हो रही है ।

यह कहती है गाइडलाइन

मध्य प्रदेश शासन व इंडियन मेडिकल काउंसिल के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार पैथोलॉजी लैब का संचालन नहीं करने पर संचालकों को पर एफआईआर करने के साथ कानूनी धाराएं लगाकर कार्यवाही करने का प्रावधान है, वहीं सुप्रीम कोर्ट और मेडिकल काउंसिल के अनुसार मेडिकल साइंस में विशेषज्ञ भी वही कहलाएगा जो एमबीबीएस के बाद पीजी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अवैध लैब को प्रतिबंधित करने कितने कारगर कदम उठाए गए हैं, यह लैब के संचालन तथा विभाग के दस्तावेजों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

जिम्मेदार मीटिंग में व्यस्त

मानपुर जनपद पंचायत के ग्राम चिल्हारी में विष्णु कांत यादव नामक सेवा पैथोलॉजी सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में नियमों के विपरीत पैथोलॉजी का संचालन हो रहा है इसके अलावा झोलाछाप सहित अन्य किसी बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार जवाब देने से बचने के लिए नए-नए बहाने निकालते रहते हैं जब इस संबंध में बीएमओ मानपुर डॉ. एन.पी.जैसल से संपर्क कर जानकारी चाहने की कोशिश की गई तो, उनके द्वारा फोन उठाना ही उचित नहीं समझ गया।

दस्तक अभियान का हुआ शुभारंभ

कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने बच्चों को विटामिन-ए की दवा पिलाई

उमरिया। प्रदेश के साथ-साथ जिले में भी आज से दस्तक अभियान का शुभारंभ हुआ । जिले में बच्चों को कुपोषण एवं विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संचालित दस्तक अभियान का शुभारंभ कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाकर किया।

कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय एवं सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सृष्टि यादव, वैष्णवी केवट, शिवांश कुमार , अनिकृत बर्मन, नूरफातिमा , सम्राट यादव, गुंजन यादव को विटामिन ए की दवाई पिलाई । उन्होंने अभिभावकों से बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा समय पर टीकाकरण एवं विटामिन-ए की खुराक दिलाने की अपील की। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही.एस.चंदेल ने बताया कि पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच , उपचार, विटामिन व आयरन की गोलियों की उपलब्धता कराने के साथ ही ओआरएस व जिंक उपलब्ध कराने के उददेश्य से 14 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान का उददेश्य शिशु एवं बाल मृत्यु प्रकरणों में कमी लाना, बच्चों में दस्त रोग से होन वाले मृत्यु प्रकरणों की रोकथाम करना, अन्य बाल्यकालीन बीमारियों की रोकथाम करना तथा समुदाय में घर-घर भ्रमण कर संवेदनशील बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग करना तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की प्रारंभिक पहचान कर आवश्यक सेवायें सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारों में प्रति बच्चे के मान से 2 ओ.आर.एस. पैकेट तथा 14 जिंक टैबलेट की प्रदायगी, 9 माह से 5 वर्ष आयु वाले समस्त बच्चों को आयु अनुरूप विटामिन ए सीरप का अनुपूरण, डीएसस टूल द्वारा बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान एवं आवश्कतानुसार रेफरल, 6 माह से 5 वर्ष आयुवर्ग के समस्त बच्चों के परिवारों को आई.एफ.ए. सीरप की प्रदायगी एवं उपयोग हेतु परामर्श, डीएसस टूल द्वारा दस्त रोग, निर्जलीकरण तथा अन्य बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान तदानुसार उपचार, रेफरल तथा स्टॉप डायरिया अभियान की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, एसडीएम बांधवगढ अंबिकेश प्रताप सिंह , डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज, तहसीलदार बांधवगढ दिलीप सोनी, जिला टीकाकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता, प्रभारी डीपीएचएनओ अनुराधा पटेल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आरकेटीसी कंपनी के पांच विशालकाय वाहन जब्त, मची खलबली

शहडोल। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए आम जनता की जिंदगी और सडक़ सुरक्षा को दांव पर लगाने वाली बेलगाम कंपनियों के खिलाफ जिला पुलिस के यातायात विभाग ने एक बेहद सख्त और धारदार कार्रवाई को अंजाम दिया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत अमलाई खुली कोयला खदान में कोयला उत्खनन का ठेका संभाल रही आरकेटीसी कंपनी की मनमानी पर नकेल कसते हुए विभाग ने उसके पांच विशालकाय भारी वाहनों (टिपरों) को रंगे हाथों अवैध रूप से चलते पकडक़र जब्त कर लिया है। इस बड़ी कार्रवाई से खदान क्षेत्र में हडक़ंप मच गया है।

दरअसल, कोयला परिवहन के इस खेल में नियमों को ताक पर रखकर भारी वाहनों को सडक़ों पर दौड़ाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इस पर संज्ञान लेते हुए यातायात प्रभारी संजय जायसवाल ने दलबल के साथ स्वयं मौके पर धावा बोला। जांच के दौरान जो हकीकत सामने आई, वह बेहद चौंकाने वाली थी। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में शुमार ठेका कंपनी के ये भारी वाहन बिना वैध बीमा के ही सडक़ों पर मौत बनकर दौड़ रहे थे। इतना ही नहीं, कइयों में तो पंजीयन नंबर तक धुंधले थे ताकि किसी हादसे के बाद पहचान छिपाई जा सके। भारी वाहनों में भार को संतुलित रखने वाले आवश्यक तकनीकी उपकरण भी नदारद पाए गए, जिससे कोयले की अत्यधिक ओवरलोडिंग कर सडक़ों को छलनी करने और भयानक हादसों को आमंत्रण देने की पूरी तैयारी थी। नियमों की इस घोर अनदेखी और

खुलआम का जा रहा गुडागर्दा पर कड़ा प्रहार करते हुए यातायात प्रभारी ने तत्काल मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की। सभी पांचों विशालकाय वाहनों को घटना स्थल पर ही सीज कर अमलाई खदान के परिसर में कैद कर दिया गया।उल्लेखनीय है कि इस कंपनी को यहां तीन वर्षों के लिए कोयला खनन का ठेका मिला हुआ है, जिसकी आड़ में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। यातायात प्रभारी संजय जायसवाल ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि भारी वाहनों की यह मनमानी और अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई भी वाहन बिना फिटनेस, बीमा या निर्धारित सुरक्षा मानकों के बिना सडक़ों पर उतरा, तो उसके खिलाफ इससे भी अधिक दंडात्मक और दमनकारी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस आक्रामक तेवर से नियम विरुद्ध परिवहन करने वाले माफियाओं और ठेकेदारों में हडक़ंप व्याप्त है।

रेंजर की शह पर 50 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा!

गरीब वृद्ध ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

शहडोल। जिले के जयसिंहनगर थाना अंतर्गत ग्राम खैरवार टोला कतिरा में मानवता को शर्मसार करने वाला और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पैसे, रसूख और प्रशासनिक सांठ-गांठ के मद में चूर दबंगों के एक गिरोह ने 95 वर्ष की एक लाचार बुजुर्ग महिला की पुश्तैनी और सरकारी पट्टे की जमीन पर गिद्ध दृष्टि गड़ा दी है। रसूखदारों का यह गिरोह न सिर्फ बुजुर्ग महिला की जमीन पर जबरन ट्रैक्टर चलाने पर आमादा है, बल्कि विरोध करने पर आधी रात को घर में आग लगाकर पूरे परिवार को जिंदा फूंकने और जान से मारने की खौफनाक धमकियां दे रहा है। पीड़ित बुजुर्ग महिला गनेशिया बाई (बेवा गजाधर खैरवार) ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हडक़ंप मच गया है।

बुजुर्ग महिला द्वारा लगाए गए आरोप बेहद चौंकाने वाले और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले हैं। शिकायत के अनुसार, आरोपी अखिलेश खैरवार दिन-रात वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंजर) जयसिंहनगर दिनेश कुमार पटेल की सेवा-खुशामद में लगा रहता है। आरोप है कि रेंजर साहब भी इन दबंगों पर पूरी तरह मेहरबान हैं और उन्हीं के रसूख के बल पर यह गिरोह 95 वर्षीय वृद्धा के पट्टे की भूमि को जबरन छीनने की फिराक में है। इतना ही नहीं रामप्यारे पिता टिल्लू खैरवार जो पूर्व में मध्य प्रदेश शासन का सेवादार कर्मचारी था, उसने पात्रता न होने के बावजूद अपनी पत्नी रत्ती बाई के नाम पर फर्जी तरीके से पट्टा कटवा लिया। यही नहीं, रामप्यारे के आठ लडक़े मिलकर लगभग 50 एकड़ सरकारी वन भूमि को अवैध रूप से जोत रहे हैं, जिस पर वन विभाग ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। पीड़िता गनेशिया बाई ने बताया कि उनके दिवंगत पति गजाधर खैरवार के नाम पर शासन द्वारा वर्ष 2010 में वनाधिकार का पट्टा (कोड नं. 171408061, रकबा 1.307 हेक्टेयर, कक्ष क्र पी.एफ./412) विधिवत जारी किया गया था। इस आराजी पर उनका रिहायशी मकान, बोरवेल और महुआ व जामुन के फलदार पेड़ लगे हैं, जिस पर वह लंबे समय से काबिज हैं, लेकिन गांव के ही रसूखदार रामप्यारे, शिवचरण, विद्याचरण, अखिलेश, रत्ती बाई, विद्या बाई, वन्दना, राजकुमारी, सपना, देवकी और रामबाई आदि का संगठित गिरोह इस जमीन को हड़पना चाहता है। आए दिन लाठी-डंडों से लैस होकर ये लोग वृद्धा और उसके नाती संदीप कुमार को गालियां देते हैं और प्राणघातक हमले की फिराक में रहते हैं।इस पूरे मामले में स्थानीय जयसिंहनगर पुलिस की भूमिका भी संदेहास्पद नजर आ रही है। पीड़िता के नाती संदीप कुमार ने बीते 8 जुलाई 2026 को थाने में इस गुंडागर्दी के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन रसूखदारों के दबाव में पुलिस ने पावती (रसीद) तक नहीं दी। पुलिस की इसी सुस्ती के कारण दबंगों के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं और वे खुलेआम घूमकर कह रहे हैं कि अगर अकेले में मिल गए तो जीवन लीला समाप्त कर देंगे, हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 95 साल की बेसहारा महिला अब एसपी दफ्तर के चक्कर काट रही है।

जबलपुर मंडल के ब्यौहारी रेलवे स्टेशन पर विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन

ब्यौहारी के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने चित्रकला, निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में दिखाई प्रतिभा

जबलपुर। भारतीय रेल की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जबलपुर मंडल के ब्यौहारी रेलवे स्टेशन पर विद्यालय स्तरीय चित्रकला, निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय रेल, स्टेशन पुनर्विकास, स्वच्छता, विरासत संरक्षण तथा राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों से जोड़ते हुए उनकी रचनात्मक एवं बौद्धिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने विचारों एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। चित्रकला, निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से

विद्यार्थियों ने रेलवे के विकास, स्वच्छ एवं सुरक्षित रेल परिसर तथा राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका जैसे विषयों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।इस अवसर पर विद्यालयों के शिक्षकों, रेलवे अधिकारियों एवं उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में निरंतर सहभागिता के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। जबलपुर मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को अपनी सृजनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें भारतीय रेल के विकास कार्यों एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के उद्देश्यों से भी परिचित कराया। इस प्रकार के आयोजन समाज में रेलवे के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के अभियान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खबर संक्षेप

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत धमनगांव में 15 हजार पौधे लगाए गए

डिंडौरी। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत सोमवार को विकासखंड डिंडौरी के धमनगांव (जोगीटिकरिया) में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के अंतर्गत 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 15 हजार फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, पुलिस अधीक्षक आशीष खरे, वनमंडलाधिकारी अशोक कुमार सोलंकी, एसडीओ (आईएफएस) विशाल कुमार, संयुक्त कलेक्टर भारती मेरावी, एसडीएम रामबाबू देवांगन, भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वनमंडलाधिकारी ने विधिवत पूजन-अर्चन के बाद पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी पौधे लगाकर अभियान में सहभागिता निभाई।इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि "एक पेड़ मां के नाम" अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक पौधारोपण के साथ उसके संरक्षण और संवर्धन का भी संकल्प ले। पौधों के सुरक्षित और विकसित होने से ही पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य पूरा होगा और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं हरित वातावरण मिल सकेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। तम्बाकू नियंत्रण कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें: कलेक्टर

डिंडौरी। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक एवं विभागीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

किसानों की मेहनत पर मंडराया संकट, कृषि विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

खरीफ सीजन में नकली खाद-बीज का खतरा

बिना अनुमति वाले उत्पादों की बिक्री के आरोप, बाजार में जांच अभियान चलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले में खरीफ फसलों की बुवाई का दौर चरम पर है। किसान अपनी सालभर की कमाई और उम्मीदों को खेतों में बो रहे हैं, लेकिन इसी बीच नकली और अमानक खाद-बीज की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि कुछ व्यापारियों द्वारा संदिग्ध गुणवत्ता वाले खाद, बीज और कृषि उत्पादों का भंडारण कर उनकी बिक्री की जा रही है। यदि समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों किसानों की फसल प्रभावित हो सकती है। अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, राजेंद्रग्राम, फुनगा, वेंकटनगर, बिजुरी और अमरकंटक सहित जिले के कई क्षेत्रों में किसानों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से बाजार में उपलब्ध खाद-बीज की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि खेती किसान के जीवन का आधार है और यदि बुवाई के समय ही उसे नकली या अमानक बीज मिल जाए तो उसकी पूरी मेहनत और पूंजी दोनों बर्बाद हो सकती हैं।

बिना अनुमति वाले उत्पादों की बिक्री के आरोप

स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ दुकानों में ऐसी कंपनियों के बीज और कृषि उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जिनके संबंध में आवश्यक अनुमति या प्रमाणन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह भी आरोप है कि कुछ स्थानों पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम का उपयोग कर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कृषि विभाग की निगरानी पर सवाल

किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन के दौरान कृषि विभाग को नियमित रूप से खाद-बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करना चाहिए, नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच करानी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब तक व्यापक स्तर पर जांच अभियान दिखाई नहीं दिया, जिससे किसानों में असंतोष है।

बीज उत्पादक समितियों की भी हो जांच

किसानों ने यह मांग भी उठाई है कि जिले में पंजीकृत बीज उत्पादक समितियों के वास्तविक उत्पादन और उनके रिकॉर्ड का सत्यापन कराया जाए। यदि कोई समिति केवल कागजों में उत्पादन दिखाकर बाहर से बीज खरीदकर बेच रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

फसल और भविष्य दोनों दांव पर

विशेषज्ञों का मानना है कि अमानक बीज, नकली खाद और घटिया कीटनाशकों के उपयोग से फसल उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कर्ज का बोझ भी बढ़ता है। ऐसे में बुवाई के इस महत्वपूर्ण समय पर गुणवत्ता नियंत्रण और सघन जांच बेहद आवश्यक है।

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से मांग की है कि जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाकर खाद-बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया जाए, संदिग्ध उत्पादों के नमूने लिए जाएं और जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यापारियों एवं संबंधित कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों की मेहनत और उनकी फसल सुरक्षित रह सके।

48 घंटे में लूट का खुलासा, देवहरा पुलिस ने आरोपी को बाइक सहित दबोचा

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी पुष्पराजगढ़ नवीन तिवारी एवं थाना प्रभारी चचाई फूलमती अहिरवार के नेतृत्व में चौकी देवहरा पुलिस ने लूट के एक मामले का महज 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार, फरियादी अवधेश कुमार सिंह (40 वर्ष), निवासी ग्राम पटना कला, थाना चचाई ने 11 जुलाई को देवहरा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई की रात करीब 9 बजे वह ग्राम देवहरा निवासी उद्धव ओझा की हीरो होंडा पैशन एक्स प्रो मोटरसाइकिल लेकर सिरोल बस स्टैंड स्थित अहमद रजा की दुकान से अंडा बिरयानी लेने गए थे। बिरयानी लेकर लौटते समय सफेद शर्ट पहने एक युवक ने धिरोल पंचायत तक छोड़ने का अनुरोध किया। फरियादी ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। रात करीब 9 बजे धिरोल पहुंचने पर युवक ने फरियादी को धमकाकर धक्का दिया और मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद फरियादी ने स्थानीय लोगों को पूरी जानकारी दी और मोटरसाइकिल की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद 11 जुलाई को देवहरा चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान गवाहों से मिले सुराग के आधार पर आरोपी की पहचान सुनील यादव (22 वर्ष), निवासी ग्राम धिरोल, चौकी देवहरा, थाना चचाई के रूप में हुई। पुलिस टीम ने लगातार तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने लूट की वारदात स्वीकार की, जिसके बाद उसके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल अनूपपुर से बरामद कर जब्त कर ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर न्यायालय अनूपपुर में पेश कर दिया। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी रंगनाथ मिश्र, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र महोबिया, प्रधान आरक्षक राजाराम दाहिया, आरक्षक सत्यम गौतम एवं आरक्षक सचिन गोंड की सराहनीय भूमिका रही।

2 वर्ष से फरार शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरी की रकम से खरीदी बाइक भी जब्त

हरिभूमि न्यूज राजनगर। जिले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रामनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगभग दो वर्ष से फरार चल रहे एक शातिर आदतन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की रकम से खरीदी गई होंडा मोटरसाइकिल और 500 नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देशन में जिले के पुराने लंबित प्रकरणों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगनाथ मारकाम, एसडीओपी कोतमा श्रीमती आरती शाक्य के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी रामनगर सुमित कौशिक के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार थाना रामनगर के अपराध क्रमांक 266/2024 में धारा 303 (2) एवं 305 (ए) बीएनएस के तहत दर्ज चोरी के मामले में फरार आरोपी छोटू वादी पिता स्व. मोतीलाल वादी (35 वर्ष), निवासी ग्राम चकौड़िया, थाना जैतपुर, जिला शहडोल को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी एक आदतन एवं शातिर चोर है, जिसके विरुद्ध थाना बिजुरी, थाना कोतमा तथा थाना पाली (जिला उमरिया) में भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। मुखबिर से प्राप्त सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने उसे दबोचने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी की रकम से खरीदी गई होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल तथा 500 नकद बरामद कर विधिवत जब्त किए गए। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय कोतमा में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया। रामनगर पुलिस की इस कार्रवाई को फरार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने किया पौधारोपण

कलेक्ट्रेट परिसर में लगाए गए विभिन्न प्रजातियों के 15 पौधे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। मध्यप्रदेश शासन के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मंगलवार को अनूपपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने कलेक्ट्रेट परिसर में गुलमोहर का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल प्रकृति के संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने नागरिकों से अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने तथा उसकी नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखे, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक बड़ा जनआंदोलन बन सकता है। इस अवसर पर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी सहित अन्य अतिथियों ने भी पौधारोपण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में आम, नीम, गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के लगभग 15 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में हरित आवरण बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना तथा आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार बनाना रहा। उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लेते हुए हरित अनूपपुर के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व जनपद अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम, विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, सहायक आयुक्त सुश्री सरिता नायक, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनके संरक्षण एवं संवर्धन को जनभागीदारी से जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देना है।

कौशल विकास अपनाकर रोजगार देने वाले बनें-अंतर सिंह आर्य

जनजातीय युवा संस्कृति के संरक्षण का लें संकल्प

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने जनजातीय युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण का संकल्प लें तथा उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का दायित्व निभाएं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत उसकी सबसे बड़ी पहचान है और इसका संरक्षण प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है। वे मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री आर्य ने कहा कि आज के युवाओं को केवल नौकरी पाने की सोच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कौशल विकास, नवाचार और स्वरोजगार के माध्यम से ऐसे उद्यमी बनने का प्रयास करना चाहिए जो स्वयं आत्मनिर्भर बनें और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें। उन्होंने शिक्षा, तकनीकी दक्षता और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताते हुए युवाओं से इन क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का सदैव स्मरण रखने की सलाह देते हुए कहा कि संविधान में निहित मूल्यों का पालन, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र नि3र्माण में सक्रिय भागीदारी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनजातीय युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और संस्कारों के बल पर समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। युवाओं को इन योजनाओं की जानकारी लेकर उनका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से सजग एवं जागरूक रहने, धर्मांतरण, सामाजिक विवादों और भ्रामक गतिविधियों से दूर रहने तथा शिक्षा, कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

आयोग की भूमिका से कराया अवगत

कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका एवं अधिकारों की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(ए) के तहत अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग अपने संवैधानिक अधिकारों और शासकीय सुविधाओं से वंचित न रहे। साथ ही आयोग को जांच संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय के समान शक्तियां भी प्राप्त हैं।

युवाओं से किया खुला संवाद

युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान अंतर सिंह आर्य ने तुलसी महाविद्यालय की छात्राओं बिनु राठौर एवं रितिका सिंह, छात्र वीरेंद्र कुमार तिवारी, शिवा कुशवाहा, बृज कुमार सोनी, आईटीआई अनूपपुर के छात्र किशन कुमार कोल एवं लवकुश कोल सहित अन्य युवाओं से संवाद किया। इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास, जनजातीय समाज की समस्याएं, शासन की योजनाओं का लाभ, शिक्षकों की भूमिका, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सामाजिक दायित्व जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने युवाओं से शासकीय व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितैषी बनाने के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कंसल्टेंट राकेश कुमार ढुबे, पूर्व जनपद अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम, विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, सहायक आयुक्त सुश्री सरिता नायक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में जनजातीय युवा उपस्थित रहे।

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ महिला शाखा, अनूपपुर का गठन

वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

हरिभूमि न्यज अनूपपुर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ महिला शाखा, अनूपपुर के नवीन पदाधिकारियों का मनोनयन निर्वाचन 5 जुलाई को संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से श्रीमती कुमकुम सिंह बघेल को महिला शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। महिला शाखा के अन्य पदाधिकारियों में मनोरमा सिंह, श्रीमती पुष्पा सिंह एवं श्रीमती शिखा सिंह को उपाध्यक्ष, श्रीमती प्रवेश सिंह को सचिव, श्रीमती आँचल सिंह को महासचिव, श्रीमती मनीषा राजपूत को कोषाध्यक्ष, श्रीमती रीना सिंह एवं श्रीमती रश्मि सिंह को मीडिया प्रभारी तथा श्रीमती निशा सिंह को जिला संरक्षिका का दायित्व सौंपा गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों के चयन पर संगठन की सभी महिला सदस्यों में हर्ष का माहौल रहा। सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की गई। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के माध्यम से समाजहित एवं जनसेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीना सिंह ने सभी नवमनोनीत पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आहवान किया। नवगठित महिला शाखा ने अपने प्रथम सामाजिक कार्यक्रम के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय बालक छात्रावास, अनूपपुर में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्रावास परिसर में आम, नींबू, अमरूद सहित विभिन्न छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति से जुड़ने तथा पेड़ लगाओ, जीवन पाओ का संदेश भी दिया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में श्रीमती कुमकुम सिंह, श्रीमती प्रवेश सिंह, श्रीमती शिखा सिंह, श्रीमती पुष्पा सिंह, श्रीमती मनीषा राजपूत, श्रीमती बिंदु सिंह, मनोरमा सिंह, श्रीमती मंजूलता सिंह, श्रीमती रीना सिंह परिहार, श्रीमती आँचल सिंह एवं श्रीमती रानी सिंह सहित महिला शाखा की अनेक सदस्याओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के समापन पर पूर्व अध्यक्षा श्रीमती मीना सिंह के बड़े भाई एवं वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित सभी सदस्यों ने उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उल्लेखनीय है कि उपचार के दौरान वेल्लोर में उनका निधन हो गया था और हाल ही में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। कार्यक्रम का समापन भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं समाज सेवा के संकल्प के साथ हुआ।

कार्यालय नगर परिषद जैतहरी जिला अनूपपुर म.प्र.
E-mail-cmojaithari@mpurban.gov.in

क्र./778/न.परि./ई.टेन्ड./स्व.भारत मि./2026 **ई- निविदा आमंत्रण सूचना** जैतहरी दिनांक 14/07/2026

एतद् द्वारा नगर परिषद जैतहरी निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (ONLINE) निविदा आमंत्रित करती है उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईड https://mptenders.gov.in/ देखी जा सकती है।

क्र.	ऑन लाईन टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मुल्य	समया वधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_UAD_521098_1	Selection of agency/ expert for Preparation of Detailed Status Report of different components of MIS and IEC for JAITHARI ULB as per Guidelines given in the Swachh survey tool kit 2025 under Swachh Bharat Mission	1000000/-	20000/-	2000/-	10 माह

1. सरल कमांक 01 के निविदा प्रपत्र ऑनलाईन कय करनें का दिनांक 14/07/2026 समय सुबह 10:30 बजे से 14/08/2026 समय शाम 17:30 तक कय की जा सकती है । 2. विस्तृत निविदा विज्ञप्ति टेण्डर एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करनें के लिए वेबसाईड पर सुविधा उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए https://mptenders.gov.in/ देखी जा सकती है । 3. निविदाकार टेण्डर डालने के पूर्व उपरोक्तानुसार स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं । 4. निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए समाचार पत्र पर प्रकाशन नही किया जावेगा निविदा के संशोधन की जानकारी https://mptenders.gov.in/ पर देखी जा सकती है ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद जैतहरी जिला अनूपपुर म.प्र.